प्रकाशन हेतु अनुमोदित

<u>उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर</u>

<u>युगलपीठ</u>

<u>कोरमः</u> **माननीय श्री राजीव गुप्ता, मुख्य न्यायमूर्ति एवं**

माननीय श्री रंगनाथ चंद्राकर, न्यायमूर्ति

<u>विविध अपील (क्षतिपूर्ति) क्र. 877 सन् 2010</u>

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अपीलार्थीगण

1. श्रीमती फूलन बाई, विधवा/पति स्व. बालक राम, आयु लगभग 50 वर्ष
2. कु. रेखा, पिता स्व. बालक राम, आयु लगभग 29 वर्ष
3. संत लाल, पिता स्व. बालक राम, आयु लगभग 26 वर्ष
4. उमेश, पिता स्व. बालक राम, आयु लगभग 24 वर्ष
5. कु. प्रेमलता, पिता स्व. बालक राम, आयु लगभग 20 वर्ष सभी निवासी- कैम्प-2,

सिद्धार्थ स्कूल के पास, विद्युत पोल क्रमांक-8,

बैकुंठ नगर (बैकुंठधाम), भिलाई, जिला

दुर्ग छ.ग.

<u>विरूद्घ</u>

प्रत्यर्थीगण/अनावेदकगण

1. मोहम्मद गुलाब, पिता श्री एम. रहमान,

आयु लगभग 32 वर्ष, निवासी कुरूद रोड,

कोहका, थाना सुपेला, जिला दुर्ग छ.ग.

वाहन ट्रक टैंकर क्र. सी.जी.07/ जेडसी-

0677 का चालक

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2. सुजीत कुमार साहू,पिता स्व. शारदा प्रसाद,

आयु लगभग 34 वर्ष, निवासी कुरूद रोड,

कोहका, थाना सुपेला, जिला दुर्ग छ.ग.

वाहन ट्रक टैंकर क्र. सी.जी.07/ जेडसी-0677

का स्वामी

3. नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड,शाखा

आकाशगंगा परिसर, सुपेला, जिला दुर्ग छ.ग.

बीमा पॉलिसी क्रमांक 00863698,

दिनांक 08.11.2009 वाहन ट्रक टैंकर क्र.

सी.जी.07/ जेडसी-0677 का बीमाकर्ता

<u>मोटर यान अधिनियम की धारा 173 के अंतर्गत अपील</u>

उपस्थित : श्री पी. आर. पाटनकर व श्री कुणाल दास, अपीलार्थीगण हेतु

अधिवक्ता

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

श्री जी.वी.के. राव श्री क्यु. अज़ीज़ की ओर से, प्रत्यर्थी क्र.3 हेतु

अधिवक्ता

<u>आदेश</u>

(12 सितम्बर, 2012)

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश **मुख्य न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता** द्वारा पारित किया गया-

यह अपील, दावाकर्तागण द्वारा दि. 14.05.2010 को दावा प्रकरण क्र. 116/2009 में अष्टम अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, दुर्ग (संक्षेप में

'अधिकरण') द्वारा पारित अधिनिर्णय के अंतर्गत प्रदान की गई प्रतिकर राशि में वृद्धि हेतु प्रस्तुत की गई है।

2. अपीलार्थीगण/दावाकर्तागण, जो कि दि. 12.05.2009 को घटित मोटर दुर्घटना में मृतक बालकराम की अभागी विधवा एवं संतानें हैं, द्वारा मोटर वाहन अधिनियम की धारा 166 के अंतर्गत दावा याचिका प्रस्तुत कर ₹5,00,000/-(पाँच लाख रु मात्र) प्रतिकर की मांग की गई थी, जिसके विरुद्ध अधिकरण ने दावा याचिका दायर करने की तिथि से वास्तविक भुगतान की तिथि तक 6% वार्षिक ब्याज के साथ कुल 1,40,000/- रुपये की क्षतिपूर्ति राशि प्रदान की है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. अधिकरण ने अपने समक्ष प्रस्तुत संपूर्ण साक्ष्यों का सूक्ष्म परीक्षण करने के उपरांत यह निष्कर्ष निकाला कि दि. 12.05.2009 को घटित मोटर दुर्घटना में मृतक बालकराम को लगी चोटों के परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हुई। उक्त दुर्घटना दुर्घटनाकारी वाहन ट्रक/टैंकर, जिसका पंजीयन क्र. सी.जी.07/जेडसी-0677 है, के चालक द्वारा की गई उतावलेपन और उपेक्षापूर्वक वाहन चालन के कारण हुई। चूँकि दुर्घटना की तिथि को उक्त दुर्घटनाकारी वाहन ट्रक/टैंकर नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के पास बीमित था तथा बीमा कंपनी बीमा पॉलिसी की शर्तों के उल्लंघन को स्थापित करने में असफल रही, अतः बीमा कंपनी दावाकर्तागण को प्रतिकर राशि का भुगतान करने हेतु उत्तरदायी पाई गई।

4. चूँकि उपर्युक्त दुर्घटनाकारी वाहन ट्रक/टैंकर के बीमाकर्ता द्वारा, अधिकरण द्वारा दर्ज उपर्युक्त निष्कर्षों को चुनौती देते हुए आक्षेपित निर्णय के विरुद्ध कोई अपील प्रस्तुत नहीं की गई, अतः उक्त निष्कर्ष अब अंतिमता प्राप्त कर चुके हैं।

5. अधिकरण ने मृतक की आय ₹2,000/- प्रति माह तथा ₹24,000/- प्रति वर्ष निर्धारित की। मृतक के व्यक्तिगत खर्चों की मद में ₹24,000/- की राशि में से 1/3 भाग की कटौती करते हुए, दावाकर्तागण की आश्रितता ₹16,000/- प्रति वर्ष निर्धारित की गई। उक्त वार्षिक आश्रितता ₹16,000/- को गुणांक 8 से गुणा करने पर प्रतिकर राशि ₹1,28,000/- निर्धारित की गई। अन्य मदों के अंतर्गत अतिरिक्त ₹12,000/- प्रदान करते हुए, अधिकरण द्वारा मोटर दुर्घटना में मृतक बालकराम की मृत्यु के लिए दावाकर्तागण को कुल ₹1,40,000/- (एक लाख चालीस रूपये हजार मात्र) का प्रतिकर प्रदान किया गया। अधिकरण द्वारा उक्त प्रतिकर राशि ₹1,40,000/- पर दावा याचिका प्रस्तुत किए जाने की तिथि से वास्तविक भुगतान की तिथि तक 6% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के भुगतान का भी निर्देश दिया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. अपीलार्थियों की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री पी. आर. पाटणकर व श्री कुणाल दास ने तर्क प्रस्तुत किया कि अधिकरण द्वारा मृतक की आय के संबंध में दावाकर्तागण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य को स्वीकार न करते हुए उसकी आय मात्र ₹2,000/- प्रति माह तथा ₹24,000/- प्रति वर्ष निर्धारित करना त्रुटिपूर्ण है; गुणांक के चयन में निम्न गुणांक 8 का चयन किया जाना अनुचित है; अन्य मदों के अंतर्गत केवल ₹12,000/- की अल्प

राशि प्रदान की गई है; तथा इस प्रकार कुल मिलाकर मात्र ₹1,40,000/- का प्रतिकर प्रदान किया जाना अत्यंत कम एवं अपर्याप्त है।

7. दूसरी ओर, प्रतिवादी क्र.3 दुर्घटनाकारी वाहन ट्रक/टैंकर के बीमाकर्ता नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री क्यू. अज़ीज़ के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री जी.वी.के. राव ने अधिकरण द्वारा पारित अधिनिर्णय का समर्थन करते हुए यह तर्क प्रस्तुत किया कि वर्तमान प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों में अधिकरण द्वारा प्रदान की गई ₹1,40,000/- की प्रतिकर राशि न्यायोचित एवं उपयुक्त है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण में यह महत्वपूर्ण है कि न्यायालयों/अधिकरणों द्वारा प्रदान किया जाने वाला प्रतिकर प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों में न्यायोचित एवं उपयुक्त होना चाहिए। प्रतिकर की राशि न तो अत्यंत अल्प होनी चाहिए और न ही किसी प्रकार की अनुचित लाभराशि के समान होनी चाहिए।

9. अब हम यह परीक्षण करेंगे कि क्या अधिकरण द्वारा प्रदान की गई ₹1,40,000/- की प्रतिकर राशि वर्तमान प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों में न्यायोचित एवं उपयुक्त है।

10. यह सत्य है कि दावाकर्तागण ने यह अभिवचन किया कि मृतक बालकराम एक निजी कंपनी में कार्य कर ₹6,000/- प्रति माह अर्जित करता था, किंतु उसके ₹6,000/- प्रति माह की आय को स्थापित करने हेतु अधिकरण के समक्ष कोई

निश्चायक और विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। साक्ष्य की इस स्थिति में, मृतक की आय के संबंध में दावाकर्तागण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य को अस्वीकार किए जाने में अधिकरण की दृष्टिकोण को हम त्रुटिपूर्ण नहीं पाते हैं।

11. अधिकरण को, मृतक की आय के संबंध में दावाकर्तागण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य को अस्वीकार करते समय, मोटर वाहन अधिनियम की धारा 163-क के अंतर्गत द्वितीय अनुसूची में निर्धारित काल्पनिक आय के आधार पर मृतक की आय का निर्धारण करना चाहिए था।

12. मोटर वाहन अधिनियम की धारा 163-क, जिसके अंतर्गत वर्ष 1994 में द्वितीय अनुसूची जोड़ी गई, निम्नानुसार है:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

> **"[163-क. संरचित सूत्र के आधार पर प्रतिकर के भुगतान से संबंधित विशेष प्रावधान–**(1) इस अधिनियम में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अथवा विधि का बल रखने वाले किसी दस्तावेज़ में निहित किसी भी बात के होते हुए भी, मोटर वाहन का स्वामी या अधिकृत बीमाकर्ता, मोटर वाहन के उपयोग से उत्पन्न दुर्घटना के कारण मृत्यु या स्थायी अपंगता की स्थिति में, द्वितीय अनुसूची में निर्दिष्ट के अनुसार प्रतिकर का

भुगतान, यथास्थिति, विधिक उत्तराधिकारियों या पीड़ित को करने के लिए उत्तरदायी होगा।

स्पष्टीकरण— इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, 'स्थायी अपंगता' का वही अर्थ एवं विस्तार होगा जो कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 (1923 का 8) में दिया गया है।

(2) उपधारा (1) के अंतर्गत प्रतिकर के किसी भी दावे में, दावाकर्ता से यह अभिवचन करने या स्थापित करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी कि जिस मृत्यु या स्थायी अपंगता के संबंध में दावा किया गया है, वह संबंधित वाहन अथवा वाहनों के स्वामी या किसी अन्य व्यक्ति के किसी दोषपूर्ण कृत्य, उपेक्षा या चूक के कारण हुई थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(3) केंद्रीय सरकार, जीवन–यापन की लागत को दृष्टिगत रखते हुए, समय–समय पर राजपत्र में अधिसूचना द्वारा द्वितीय अनुसूची में संशोधन कर सकती है।]"

13. उपर्युक्त उद्धरण मोटर वाहन अधिनियम की धारा 163-क की उपधारा (3) के अंतर्गत केंद्रीय सरकार को यह अनिवार्य किया गया है कि वह जीवन–यापन की लागत को दृष्टिगत रखते हुए समय–समय पर द्वितीय अनुसूची में संशोधन करे।

14. चूँकि केंद्रीय सरकार धारा 163-क की उपधारा (3) में निहित प्रावधान के अनुसार द्वितीय अनुसूची में संशोधन करने में विफल रही है, अतः न्यायालय/अधिकरण, वर्ष 1994 में द्वितीय अनुसूची के प्रवर्तन तथा वर्तमान प्रकरण में दुर्घटना की तिथि के मध्य अवधि के दौरान आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों एवं जीवन–यापन की लागत में हुई वृद्धि का न्यायिक अवेक्षा ले सकते हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15. अब वर्तमान प्रकरण की ओर लौटते हुए, वह दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना, जिसमें मृतक बालकराम ने अपना जीवन खोया, वर्ष 2009 में घटित हुई। यदि वर्ष 1994 से वर्ष 2009 के मध्य आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों एवं जीवन–यापन की लागत में हुई वृद्धि को ध्यान में रखा जाए, तो मोटर वाहन अधिनियम की धारा 163-क के अंतर्गत द्वितीय अनुसूची में वर्ष 1994 में निर्धारित ₹15,000/- की काल्पनिक आय निश्चित रूप से वर्ष 2009 में ₹36,000/- हो जाती है। अतः हम मृतक की आय ₹3,000/- प्रति माह तथा ₹36,000/- प्रति वर्ष मानकर प्रतिकर राशि का पुनर्गणना किए जाने का प्रस्ताव करते हैं।

16. मृतक के व्यक्तिगत खर्चों की मद में ₹36,000/- की राशि में से 1/3 भाग की कटौती करने पर, दावाकर्तागण की आश्रितता ₹24,000/- प्रति वर्ष निर्धारित की जाती है।

17. आक्षेपित निर्णय के कंडिका 12 में अधिकरण ने यह प्रतिधारित किया है कि दुर्घटना की तिथि को मृतक बालकराम की आयु 55–60 वर्ष के आयु वर्ग में थी। दावाकर्तागण ने अपनी दावा याचिका में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि मृतक बालकराम की आयु लगभग 56 वर्ष थी। अतः यह निर्विवाद है कि मृतक 56–60 वर्ष के आयु वर्ग में आता था। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **सरला वर्मा (श्रीमती) एवं अन्य विरूद्ध दिल्ली परिवहन निगम एवं अन्य, (2009) 6 एस.सी.सी. 121**, के प्रकरण में प्रतिपादित सिद्धांत के अनुसार 56–60 वर्ष के आयु वर्ग के लिए गुणांक 9 निर्धारित किया गया है। हमारे मत में, अतः, वर्तमान प्रकरण में गुणांक 9 का प्रयोग किया जाना उपयुक्त होगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

18. ₹24,000/- की वार्षिक आश्रितता को गुणांक 9 से गुणा करने पर प्रतिकर राशि ₹ 2,16,000/- निर्धारित होती है। इसके अतिरिक्त, दावाकर्तागण अंतिम संस्कार व्यय की मद में ₹ 5,000/-, संपत्ति की हानि के लिए ₹ 5,000/- तथा विधवा को दांपत्य सुख की हानि के लिए ₹ 5,000/- प्राप्त करने के हकदार हैं। इस प्रकार, दावाकर्तागण मोटर दुर्घटना में मृतक बालकराम की मृत्यु के लिए कुल ₹ 2,31,000/- (रुपये दो लाख इकतीस हजार मात्र) की प्रतिकर राशि प्राप्त करने के अधिकारी हो जाते हैं।

19. दावाकर्तागण को प्रतिकर की वर्धित राशि ₹ 91,000/- पर परिकलित ब्याज की राशि के रूप में अतिरिक्त ₹10,000/- भी प्रदान की जाती है।

20. पूर्वोक्त कारणों से, प्रतिकर वृद्धि हेतु अपीलार्थीगण/दावाकर्तागण द्वारा दायर अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधिकरण द्वारा प्रदान की गई ₹1,40,000/- की प्रतिकर राशि को बढ़ाकर ₹2,31,000/- किया जाता है तथा इसके अतिरिक्त बढ़ी हुई प्रतिकर राशि ₹91,000/- पर ₹10,000/- की परिकलित ब्याज राशि प्रदान की जाती है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

21. प्रतिवादी क्र.3, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, को संबंधित दावा अधिकरण के समक्ष कुल ₹1,01,000/- (रुपये एक लाख एक हजार मात्र) की राशि जमा करने हेतु तीन माह का समय प्रदान किया जाता है, जिसमें ₹91,000/- प्रतिकर की बढ़ी हुई राशि तथा ₹10,000/- उक्त बढ़ी हुई प्रतिकर राशि ₹91,000/- पर परिकलित ब्याज की राशि सम्मिलित है।

22. वाद व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं।

हस्ताक्षरित :

मुख्य न्यायमूर्ति

हस्ताक्षरित :

आर एन चंद्राकर

न्यायमूर्ति

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By Adv Somesh Kashyap

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur